न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1362/2026

मनेर थाना कांड संख्या— 536/2026

1. रविशंकर,
2. रामाशंकर प्रसाद,
3. हरिशंकर प्रसाद,

   सभी पिता स्व0 शिवशंकर प्रसाद।
4. अनीता देवी उर्फ तेतरी देवी पति स्व0 शिवशंकर प्रसाद,
5. शुभम कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह,
6. कोमल कुमारी पुत्री नंद कुमार।

   साकिनान —रघुनाथ टोला धिराचक, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना।

————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री शिवमूर्ति सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

17.07.2026 मनेर थाना कांड संख्या—536/2026 धारा—126(2), 117(2),115(2),118(2),75,303(2),352,3(5) बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि मैं अपने घर पर परिवार के साथ रहता हूँ, मुझे तीन बच्चा है जो बाहर रहता है और मेरे परिवार के एक सदस्य है जो स्व0 शिवशंकर प्रसाद के परिवार के लोग अनिसाबाद मुहल्ला रघुनाथ टोला में खानदानी मकान मेरे पिताजी का है, वहीं पर अपने आधे हिस्से के मकान में रहते हैं। येलोग आकर गाली—गलौज व मारपीट करता है, जिसका नाम हरिशंकर प्रसाद उर्फ गोलु कुमार, रविशंकर प्रसाद उर्फ छोटू, रामाशंकर प्रसाद उर्फ अंकित कुमार, अनीता देवी उर्फ तेतरी देवी व कोमल कुमारी है। सभी लोग दिनांक—07.06.2026 को समय शाम 2.00 बजे आकर आम तोड़कर ले गया। इस घटना को योगेन्द्र राय, रघुनाथ राय, बबलू राय ने अपने आंखों से देखा है और अधिक मार खाने से बचाया है। बगीचा से तीन बोरा आम तोड़कर ले गया है और जबर्दस्ती दो शीषम का पेड़ काटकर गिरा दिया है। मेरी बेटी सोनिया देवी को रास्ता में घेरकर तेज हथियार से मार दिया, जिससे उसका दायां हाथ जख्मी हो गया है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आज सूचक न्यायालय में उपस्थित है, जिसने कहा है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत दिया जाए, मुझे आपत्ति नहीं है। साथ ही सुलहनामा दाखिल किया गया है, जिसपर उभय पक्षों का हस्ताक्षर व निशान है।

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1362/2026
मनेर थाना कांड संख्या— 536/2026

लगातार
17.07.2026

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त आवेदकगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे व एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण/गिरफ्तार होने पर, धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/—रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।